न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 58/2023

उनवान

राम
राम } पुत्रान महादेव
याण सहाय

जाति गुर्जर निवासी ढाणी लूल्या वाली चतरपुरा खोरी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

स्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
पंचायत पीपलोद नारायण जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पीपलोद नारायण तह.शाहपुरा जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 04/10/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया आराजी ख.नं. 209 रकबा 0.48 है0 वाकै ग्राम चतरपुरा तह0 शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है। जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश /भू0अ0/2023/1563 दिनांक 07.06.2023 की पालना में दिनांक 16.06.2023 को पडौसी रान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि को काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थी उक्त ान के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अप्रार्थीगण सं0 01 व 02 की ओर जूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी ई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 16.06.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा ान किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा न्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी ा चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के हाल खाता संख्या 137 में प्रश्नागत आराजी ख. 9 रकबा 0.48 है0 वाकै ग्राम चतरपुरा तह0 शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील रा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/10/23 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण